

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 95/2022 अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) पल्लू जिला हनुमानगढ।

बनाम

साहबराम पुत्र बिरबल जाति नायक निवासी मायला तहसील पल्लू।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- पेरोकार राज-वादी

निर्णय दिनांक- 29-8-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए रोही मौजा मायला के ख.नं. 60 की 1.341 है. भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी को बैदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

ह आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.08.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

राजस्थान राज्य

हनुमानगढ